संख्या 31011/11/85- स्था0(ए0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली 2। मार्च, 1986

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिमों की वसूली।

उपर्युक्त विषय पर मुझे गृह मंत्रालय के दिनाक 1 अक्तूबर, 1966 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/3/63-स्था0(ए) का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जिस सरकारी कर्मचारी को स्वयं अपने लिए तथा अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के प्रयोजन से अग्रिम मंजूर किया जाता है उसे अग्रिम लेने के 30 दिन के अन्दर बाहरी यात्रा पर न जाने की स्थिति में पूरी राशि तुरन्त वापिस कर देनी चाहिए। तदनन्तर चूंकि रेलवे ने यह व्यवस्था कर दी थी कि सीटों/बर्थों का आरक्षण यात्रा की तारीख से छः महीने पहले तक कराया जा सकता है, इसलिए इस विभाग के दिनाक 1 सितम्बर, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/4/78-स्था0 (ए0) के अधीन यह निर्णय किया गया था कि कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं अपने लिए तथा /अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन की जाने वाली प्रस्तावित यात्रा के संबंध में बाहरी यात्रा की प्रस्तावित तिथि से 60 दिन पहले अग्रिम ले सकता है। ऐसे मामलों में आगे यह निर्णय और किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को अग्रिम लेने के 10 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रेलवे टिकिट यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत कर देने चाहिए कि उसने वास्तव में ही राशि का उपयोग टिकटें खरीदने के लिए किया है।

2- तथापि यह देखने में आया है कि कतिपय मामलों में छुट्टी यात्रा रियायत के जिन अग्रिमों का उपयोग समय के भीतर टिकिट खरीदने के लिए नहीं किया गया, प्रशासनिक चूक के कारण कई महीनों तक उनकी वसूली नहीं की गई। यह विभाग इस स्थिति को गम्भीर मानता है। एक बार पुनः इस बात पर जोर दिया जाता है कि उपर्युक्त व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय आदि से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अगर टिकिट नियत समय के अन्दर नहीं खरीदा जाता है या टिकिट खरीद लिये जाने पर किसी न किसी कारणवश यात्रा नहीं की जाती है तो अग्रिम की पूरी राशि तत्काल वापिस ले ली जाती है तथा सुविधाजनक मासिक किश्तों में अग्रिम की कटौती के लिए किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाए।

3- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्ति व्यक्तियों का संबंध है, यह कार्यालय ज्ञापन भारत के नियंत्रक तथा महा-

कृ0पृ0उ0...2/-

लेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है ।

ह० / जयरामन

(अ०. जयरामन)
निदेशक

सेवा में,

भारत के सभी मंत्रालयों और विभागों को अतिरिक्त प्रतियों की सामान्य संख्या सहित । संख्या 31011/11/85-स्था० (क०)
नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 1986

प्रति अतिरिक्त प्रतियों की सामान्य संख्या सहित, सूचना के लिए निम्न को प्रेषित:-

1- भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2- संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4- रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।
5- भाषायी-अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद ।
6- लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
7- सभी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ।
8- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय व गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
9- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय व गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

ह० / जयरामन

(अ० जयरामन)
निदेशक